न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर/2005/2465/जयपुर.

निगरानी/एल.आर/2005/3111/जयपुर.

1- रामकरण पुत्र धन्ना (मृतक) जरिये वारिसान :-
1/1. शिवदयाल पुत्र रामकरण,
1/2. किशन पुत्र किशन (मृतक) जरिये वारिसान :-
1/2/1. तेजपाल पुत्र किशन,
1/2/2. मदनलाल पुत्र किशन,
1/2/3. नाना देवी बेवा किशन,
1/2/4. मीरा पुत्री किशन,
1/2/5. विमला पुत्री किशन,
1/3. रामेश्वर पुत्र रामकरण,
समस्त जाति जाट निवासीगण देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर।

......अपीलार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

आम जनता तहसील फागी जिला जयपुर जरिये :-
1. नाथू पुत्र घासीलाल (मृतक) जरिये वारिसान :-
1/1. कल्याण पुत्र नाथू,
1/2. कालु पुत्र नाथू,
1/3. रामज्यानकी पुत्री नाथू,
समस्त जाति हरिजन निवासीगण ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर।
2. रामचन्द्र पुत्र रामनारायण (मृतक) जरिये वारिसान :-
2/1. गोगा देवी पत्नि रामचन्द्र,
2/2. कजोड पुत्र रामचन्द्र,
2/3. भगवान पुत्र रामचन्द्र,
2/4. धारासिंह पुत्र रामचन्द्र,
2/5. हाउ भाई पुत्र रामचन्द्र,
समस्त निवासीगण ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर।
3. भूरा पुत्र लादू (मृतक) जरिये वारिसान :-
3/1. दशरथ पुत्र भूरा,
3/2. रामदयाल पुत्र भूरा,
3/3. पार्वती देवी पुत्री भूरा,
3/4. तीजो देवी बेवा भूरा,
समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर।
4. मोहम्मद खां पुत्र ईमामुद्दीन (मृतक) जरिये वारिसान :-
4/1. सलीमुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन,
4/2. मोईदुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन,

4/3. नईमुद्दीन पुत्र निजामुद्धीन,
4/4. युनिस पुत्र निजामुद्धीन,
4/5. सलमा पुत्री निजामुद्धीन,
4/6. देशया पुत्री निजामुद्धीन,
4/7. सनिम पत्नि निजामुद्धीन,
4/2. सुल्तान पुत्र मोहम्मद खां,
4/3. हफीज पुत्र मोहम्मद खान (मृतक) जरिये वारिसान :-
4/3/1. फिरोज पुत्र हफीज नाबालिग जरिये संरक्षक
4/3/2. रफीज पुत्र हफीज,
4/3/3. गुफराज पुत्र हफीज,
4/3/4. चांद बानो पत्नि हफीज,
4/4. हकीम (लाला) पुत्र मोहम्मद खां,
4/5. रमजान पुत्र मोहम्मद खां,
4/6. काली पुत्री मोहम्मद खां,
4/7. लाली पुत्री मोहम्मद खां,
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर।

5. बालुराम पुत्र माधो जाति जाट निवासी देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर।
6. हरनाथ पुत्र मोहरू (मृतक) जरिये वारिसान :-
   6/1. भूरी देवी पुत्री हरनाथ,
   6/2. सन्ती देवी पुत्री हरनाथ,
   6/3. सुगनी देवी पुत्री हरनाथ,
   समस्त जाति जाट निवासीगण देवनगर तहसील जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी जिला जयपुर।

......प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण

एकल-पीठ

श्री केसर लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितिः

श्री शंकर लाल चौधरी, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रार्थीगण।
श्री जय कृष्ण पारिक व श्री हंगामी लाल चौधरी विद्वान अधिवक्तागण प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या-02.
शेष प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 23/01/2026.

1- हस्तगत अपील संख्या-2465/2005 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-76 के तहत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या-71/2003 बउनवानी आम जनता तहसील फागी बनाम रामकरण वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 17-05-2005 के विरूद्ध पेश की गई है तथा उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार फागी द्वारा पारित नामांतकरण संख्या-188 दिनांक

04-06-2005 के विरूद्ध निगरानी संख्या-3111/2005 पृथक से पेश की गई है।

यह कि उक्त दोनों प्रकरण एक दूसरे से संबंधित होने व वाद की विषयवस्तु व पक्षकार इत्यादि समान होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण इस आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

2- हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लदाना तहसील फागी स्थित खसरा संख्या 374 व 315 रकबा 15 बीघा भूमि अपीलार्थी/प्रार्थी रामकरण को दिनांक 17-10-1961 को आवंटित होने पर खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए जरिये नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 25-03-1973 स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात् से अपीलार्थीगण बिना रोक टोक के लगातार प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या-2 ने सन् 1979 को उक्त आवंटन के विरूद्ध शिकायत पेश की गई जिस पर उभय पक्षों को सुनकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर ने निर्णय दिनांक 29-09-1997 पारित करते हुए अपीलार्थीगण के विरूद्ध जारी उक्त नोटिस अंतर्गत धारा-14(4) अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार फागी को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 29-09-1997 के विरूद्ध अप्रार्थी/प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अंतर्गत धारा-75 आर0 टी0 एक्ट के तहत् प्रथम अपील पेश की गई जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 17-05-2005 से अपील को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 29-09-1997 को अपास्त कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश किये जाने पर मण्डल द्वारा दिनांक 06-06-2005 को स्थगन आदेश पारित करते हुए उक्त निर्णय दिनांक 17-05-2005 की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया, किन्तु तहसीलदार फागी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से निगरानीधीन नामांतकरण संख्या 188 दिनांक 04-06-2006 पारित करते हुए प्रार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रार्थीगण ने यह द्वितीय अपील व निगरानी याचिका मण्डल में पेश की है।

3- शेष अप्रार्थी/प्रत्यर्थी को बार-बार तामील किये जाने व अखबार साया करवाये जाने के उपरांत अनुपस्थित रहें, जिस पर उपस्थित उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

4- दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। दिनांक 07-10-1961 को अपीलार्थी रामकरण पुत्र रघुनाथ भूमिहीन था जिसे विधिनुसार प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 07-10-1961 को किया गया तत्पश्चात् नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 25-05-1973 के तहत् खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये। बेरी आयोग के सक्षम शिकायत वर्ष 1979 को दर्ज की गई तथा तत्समय शिकायत का कोई प्रार्थना पत्र लंबित नहीं था। जिस नामांतकरण के आधार पर ग्राम चौरू की भूमि सरपंच ग्राम पंचायत चौरू के द्वारा खातेदारों को सीलिंग से

बचाने के लिये नामांतकरण तस्दीक किये गये थे वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक खारिज किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी भूमिहीन श्रेणी के कृषक थे। आवंटन सलाहकार समिति में उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं था। आवंटन जयपुर शहर के 10 मील की परिधि में स्थित नहीं है। आवंटन को हुए 36 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है तथा अपीलार्थीगण को खातेदारी प्राप्त हो चुकी है इसलिये नियम 14(4) के तहत् अपीलार्थीगण की खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती। अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन बिल्कुल सही है। नामांतकरण के आधार पर आवंटी को भूमिहीन न होना बताया गया है वह खारिज हो चुके है तथा जमाबंदी में नोट लग चुका है। अपीलार्थी रघुनाथ का दत्तक पुत्र है और इस कारण उसे असली पिता धन्ना की भूमि भी नहीं मिली है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ) 1970 के नियम 14(4) के तहत् जिला कलक्टर को आवंटन कपट से दुर्व्यपदेशन के कारण प्राप्त किया गया हो इस बाबत् ही निरस्त किये जाने का प्रावधान है, किन्तु प्रस्तुत मामले में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बाद जांच अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन किया गया तथा आवंटन की शर्तों की पालना करते हुए 10 वर्ष पश्चात् अपीलार्थी के पक्ष में खातेदारी प्राप्त की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. प्रकरण संख्या 948/86 पतराम वगैरह बनाम सरकार में इसी अनुरूप निर्णय दिया गया। आर आर डी 1988 पृष्ठ 689 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि यदि अलोटमेंट के वक्त प्रार्थी भूमिहीन था तो एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियम 14(4) के तहत् आवंटन निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर को नहीं है। एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है। यदि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किया जाता है तो ऐसे आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रांरभतः शून्य व अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने विधिनुसार पारित निर्णय के माध्यम से उक्त नोटिस अंतर्गत नियम 14(4) को निरस्त किया है, किन्तु अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने उक्त तथ्यों की गलत व्याख्या करते हुए अपीलार्थीगण को विधिनुसार प्राप्त खातेदारी अधिकारों को निरस्त करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अतएव प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-05-2005 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

निगरानी याचिका के संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कथन रहा है कि उक्त निर्णय दिनांक 17-05-2005 के विरूद्ध द्वितीय अपील मण्डल में पेश कर उक्त निर्णय की क्रियान्विति को जरिये आदेश दिनांक 06-06-2005 स्थगित कर दिया गया, किन्तु बावजूद इसके तहसीलदार फागी ने निगरानीधीन नामांतकरण संख्या 04-06-2005 पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। तहसीलदार फागी का उक्त आदेश गलत व विधि सम्मत आदेश नहीं है। तहसीलदार द्वारा अनावश्यक तंग व परेशान करने की नियत से प्रश्नगत नामांतरण स्वीकृत करते हुए प्रार्थीगण का नाम विलोपित कर दिया गया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतएव प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त नामांतकरण को निरस्त करते हुए अपीलार्थी प्रार्थीगण का नाम पुनः दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया गया।

5- अपीलार्थीगण के उक्त कथनों का विरोध करते हुए अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने निवेदन किया कि अपीलार्थी/आवंटी रामकरण को भूमि का आवंटन गलत तरीके से किया गया है क्योंकि वह भूमिहीन नहीं था। उसके पास पहले से ही अधिक भूमि थी जिसकी जांच किये बिना ही प्रश्नगत भूमि आवंटन कर दी गई। पूर्व जांच में रामकरण का आवंटन फर्जी पाया गया है। विचारण न्यायालय ने भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत् कार्यवाही नहीं करने का विनिश्चय गलत दिया है। आवंटन के समय रामकरण के नाम खातेदारी में 193 बीघा 9 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा बताया गया है। जांच में 104 बीधा 14 बिस्वा भूमि पाई गई हैं इसलिये आवंटी भूमिहीन नहीं था। अपीलार्थी ने उक्त तथ्यों को छिपाते हुए गलत रूप से आवंटन कराया है। अगर कपट या मिथ्या वचन के आधार पर कोई भूमि आवंटन कराई है तो उसे खातेदारी प्राप्त होने के बाद भी ऐसी भूमि के आवंटन को निरस्त कराया जा सकता है, जबकि आवंटन के समय अपीलार्थी सद्भावी कृषक व भूमिहीन कृषक होना चाहिये। पूर्व में धारित भूमि के बाबत् पश्चातवर्ती कार्यवाही पूर्व आवंटन को सही करार घोषित नहीं करा सकती है। अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी ने उक्त तथ्यों के आलोक में प्रत्यर्थीगण की अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-09-1997 को अपास्त किया है। चूंकि अपीलार्थी ने कपट अथवा मिथ्या अभिवचनों के आधार पर प्रश्नगत आराजी का आवंटन करवाया है जिस आधार पर तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 17-05-2005 के आलोक में विधिनुसार नामांतकरण पारित करते हुए प्रार्थी अपीलार्थीगण का नाम विलोपित करते हुए पुनः सिवायचक दर्ज की गई है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व आदेश सही व विधिसम्मत होने से इनमें कोई विधिक या तथ्यपरक त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत द्वितीय अपील व निगरानी याचिका अस्वीकार की जाकर खारिज की जाये।

6- उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर यह तथ्य स्वीकृत है कि ग्राम लदाना तहसील फागी स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 315 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा व खसरा संख्या 374 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 07-10-1961 को अपीलार्थी रामकरण पुत्र रघुनाथ के पक्ष में किया जाकर जरिये नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 25-05-1973 अपीलार्थी के पक्ष में खातेदारी इन्द्राज किये गये। प्रत्यर्थी रामचन्द्र के द्वारा उक्त आवंटन के निरस्तीकरण हेतु शिकायत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत् वर्ष 1979 में पेश की गई जो खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के करीब 6 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत हुई। उक्त शिकायत में प्रत्यर्थी रामचन्द्र ने अपीलार्थी रामचन्द्र द्वारा अपनी वल्दियत गलत रूप से रघुनाथ बताते हुए भूमि का आवंटन कराया जाना व रामकरण के पिता का नाम धन्ना होना व रामकरण पुत्र धन्ना की खुद की खातेदारी में 193 बीघा 9 बिस्वा का 1/2 हिस्सा होने से आवंटन उक्त तथ्यों को छिपाते हुए प्राप्त किये जाने संबंधी अभिवचन किये गये हैं। अपीलार्थी के यह तर्क रहे है कि 11 वर्ष की आयु में ही रामकरण रघुनाथ के गोद चला गया तथा दत्तक पिता रघुनाथ भूमिहीन व्यक्ति थे। अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि उसके असली पिता धन्ना की भूमि भी नहीं मिली तथा भूमि का

नामांतकरण अन्य भाईयों के नाम हुआ है। जबकि आवंटन दिनांक 17-10-1961 अपीलार्थी रामकरण पुत्र रूघनाथ के नाम होकर खातेदारी के इन्द्राज राजस्व अभिलेख में हुए हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी में प्रश्नगत भूमि रामकरण पुत्र धन्ना के नाम दर्ज है तथा नामांतकरण प्रपत्र की पुश्त पर उप जिला सांभर द्वारा मी.नं. 16/74 दिनांक 11-5-77 को नामांतकरण को निरस्त किये जाने का अंकन है तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने व प्रस्तुत निगरानी को राजस्व मण्डल द्वारा खारिज की है। अतः उक्त तथ्यों व दस्तावेजात के आलोक में प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के कथनों की ताईद होती है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य सुस्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी बरवक्त आवंटन भूमिहीन व्यक्ति था अथवा नहीं, क्योंकि अपीलार्थी के रघुनाथ के गोद चले जाने की स्वीकारोक्ति स्वयं प्रत्यर्थी रामचन्द्र ने भी की है। अपीलार्थी आवंटी रामकरण का आवंटन के समय उत्तराधिकार के तहत् प्रश्नगत भूमि पर हक स्वामित्व प्राप्त रहा अथवा नहीं, इसका अवधारण हस्तगत अपील के माध्यम से किया जाना संभव नहीं है। उक्त विधिक प्रश्न साक्ष्य का मोहताज है जिसका निर्धारण किये बिना व पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी वल्दियत गलत अंकित की गई हो। रामकरण की वल्दीयत का प्रश्न इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। विशेष कर ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में यह रिपोर्ट अंकित की गई है कि रघुनाथ की पगड़ी रामकरण के बंधी थी।

7- पत्रावली पर यह तथ्य स्वीकृत है कि अपीलार्थी रामकरण पुत्र रघुनाथ जाति जाट साकिन देह को आवंटन दिनांक 07-10-1961 को किया गया था तथा नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 25-05-1973 को अपीलार्थी के पक्ष में करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार मिलने के करीब 06 वर्ष पश्चात् की गई है। अपीलार्थी को जब प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया एवं इसके पश्चात् खातेदारी अधिकार सन् 1973 में प्रदत्त किये गये उस समय नियम 14(4) के तहत् कोई प्रार्थना पत्र लंबित नहीं था। अतः प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने व इसके उपभोग करने के पश्चात् भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत् अपीलार्थी के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की विद्वान खण्ड-पीठ ने डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में यह स्पष्टतः अवधारित किया गया है कि :-

"The khatedari rights conferred upon the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy act, 1955 and the Collector has no power under rule 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners with respect to the land in which the khatedari rights have already been conferred upon them because after the conferment of the Khatedari rights, the applicability of the Rules comes to an end. The powers under sub rule (4) of Rule 14 of the Rules, 1970 can be exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights, the petitioners acquired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act

and there after the provisions of Sub-rule (4) of the rule 14 of the Rules, 1970 has no application. The order passed by the Collector, Bikaner exercising its powers under Rule 14(4) of the Rules, 1970, is therefore, without jurisdiction. The order passed by the learned Collector and the orders passed by the Revenue Appellate Authority and the Board of Revenue confirming the order passed by the Collector, therefore, deserve to be quashed and set aside."

इसके अतिरिक्त आरआरसी 1997 पृष्ठ 129 मगना वगैरह बनाम भोजा वगैरह एवं आरआरडी 1987 पृष्ठ 371 व आरआरडी 1988 पृष्ठ 689 में भी इस अनुरूप मत प्रदान करते हुए यह स्पष्टतः अवधारणा की गई है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् आवंटन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

8- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसरण में ही न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने निर्णय दिनांक 29-09-1997 प्रदत्त करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत नोटिस अंतर्गत नियम-14(4) को निरस्त करने का आदेश प्रदान करते हुए सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किया हैं। जबकि अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने उक्त तथ्यों व दस्तावेजात को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी द्वारा आवंटन गलत तरीके से या मिथ्या वचन करके व तथ्यों को छुपाकर आवंटित करवाये जाने के फलस्वरूप उक्त निर्णय दिनांक 29-09-1997 को खारिज करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। पुनः उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि बरवक्त आवंटन मृतक धन्ना के वैध उत्तराधिकारी के तौर पर अपीलार्थी रामकरण भूमिहीन कृषक था अथवा नहीं, इसका अवधारण राजस्व प्रकृति के मामलों में इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है जिसके अभाव में अपीलार्थी के कथन भी अखण्डनीय रहे है कि वह अपने पिता धन्ना के भाई रघुनाथ के गोद चला गया था तथा रघुनाथ भूमिहीन व्यक्ति था तथा भूमिहीन व्यक्ति होने से अपीलार्थी रामकरण पुत्र रघुनाथ ने प्रश्नगत भूमि आवंटन हेतु आवेदन इसी नाम से किया एवं आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक जांच करते हुए आवंटन रामकरण पुत्र रघुनाथ से किया गया। अपीलार्थी ने कोई गलत अथवा मिथ्या तथ्य अपने आवेदन पत्र में दिये हो इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं है। अतः उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत 2013 आरबीजे 621, 2014 आरआरडी 316 व 2015 आरबीजे 227 सहित अन्य न्यायिक नजीरों के तथ्य हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा नहीं होने से इससे कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

9- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17-05-2005 पारित करने में गंभीर विधि व तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की है। हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 25-05-1973 के तहत् विधिनुसार खातेदारी प्रदान की गई है। अतएव प्रस्तुत द्वितीय अपील व निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपील/एलआर/2005/2465/जयपुर
अपील/एलआर/2005/3111/जयपुर
रामकरण वगैरह बनाम आम जनता

आदेश

10- परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील व निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-05-2005 अपास्त किया जाता है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-09-1997 को यथावत रखा जाता है। उक्त निर्णय के अनुसरण में तहसीलदार द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 188 दिनांक 04-06-2005 को अपास्त किया जा कर प्रश्नगत भूमि का नामांतकरण पुनः अपीलार्थी/प्रार्थी के पक्ष में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य